# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर।

## पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी (आर.ए.एस.)

**राजस्व अपील संख्या– 23/2024**
**जी.सी.एम.एस– 2024/55**

**अपीलार्थी:–**

टीकमचंद पुत्र हरजीराम जाति जाट निवासी ग्राम बारनाउ, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

**बनाम**

**प्रत्यर्थीगण:–**

1. प्रेमराज पुत्र आदूराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बारनाउ, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सेखाला, जिला जोधपुर।
3. ग्राम पंचायत बारनाउ जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत बारनाउ, पं.स. सेखाला, जोधपुर।

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार सेखाला द्वारा प्रकरण सं. 01/2022 अनवान प्रेमराज पुत्र आदूराम के पक्ष में दिनांक 11.07.2022 को पारित किया जाकर ख.नं. 647 में बाडा नियमन कर सनद जारी की।**

**उपस्थिति:–**

1. अधिवक्ता श्री रूघाराम चौधरी (अपीलार्थी की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री लाधुराम पूनिया (प्रत्यर्थी सं. 01 की ओर से)
3. अधिवक्ता श्री अर्जुन सिंह चौधरी (प्रत्यर्थी सं. 03 की ओर

**राजस्व अपील संख्या– 25/2024**
**जी.सी.एम.एस– 2024/49**

**अपीलार्थी:–**

टीकमचंद पुत्र हरजीराम जाति जाट (पंचायत समिति सदस्य), निवासी बारनाउ, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

**बनाम**

**प्रत्यर्थीगण:–**

1. हरजीराम उर्फ हरिकिशन पुत्र आदूराम
2. किशनाराम पुत्र आदूराम
   जातियान ब्राह्मण निवासी ग्राम बारनाउ, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सेखाला, जिला जोधपुर।
4. ग्राम पंचायत बारनाउ जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत बारनाउ, पं.स. सेखाला, जोधपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:54:39 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार बालेसर द्वारा प्रकरण सं. 01/2017 अनवान हरजीराम वगैरा बनाम सरकार में दिनांक 16.03.2018 को पारित किया जाकर ख.नं. 647/1 में नियमन किया गया।

उपस्थितिः–

1. अधिवक्ता श्री रूघाराम चौधरी (अपीलार्थी की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री लाधुराम पूनिया (प्रत्यर्थी सं. 01 की ओर से)
3. अधिवक्ता श्री अर्जुन सिंह चौधरी (प्रत्यर्थी सं. 04 की ओर से)

**राजस्व अपील संख्या– 26/2024**
**जी.सी.एम.एस– 2024/51**

**अपीलार्थीः–**

टीकमचंद पुत्र हरजीराम जाति जाट निवासी ग्राम बारनाउ, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

**बनाम**

**प्रत्यर्थीगणः–**

1. गणपतलाल पुत्र आदूराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बारनाउ, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बालेसर, जिला जोधपुर।
3. ग्राम पंचायत बारनाउ जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत बारनाउ, पं.स. सेखाला, जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार बालेसर द्वारा प्रकरण सं. 01/2018 अनवान गणपतलाल पुत्र आदूराम के पक्ष में दिनांक 03.01.2020 को पारित किया जाकर ख.नं. 647/1 में बाड़ा नियमन कर सनद जारी की।

उपस्थितिः–

1. अधिवक्ता श्री रूघाराम चौधरी (अपीलार्थी की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री लाधुराम पूनिया (प्रत्यर्थी सं. 01 की ओर से)
3. अधिवक्ता श्री अर्जुन सिंह चौधरी (प्रत्यर्थी सं. 03 की ओर से)

**निर्णय** **दिनांक 08.05.2025**

1. उक्त तीनों अपीले राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार बालेसर, जिला जोधपुर के [illegible] खसरा नं. 647/1 एवं तहसीलदार सेखाला, जिला जोधपुर के द्वारा [illegible] के खसरा नं. 647 राजकीय सिवायचक भूमि पर प्रत्यर्थी [illegible] कब्जा [illegible] मकान, बाड़ा नियमन करने के आदेश के विरूद्ध पेश [illegible] एक ही खसरे की भूमि होने, समान विधिक एवं समान तथ्य निहित होने से उनको कंसोलिडेट [illegible] एक ही आदेश से निर्णित करना

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:54:39 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

सुविधाजनक एवं निर्णय में एकरूपता रखने की दृष्टि से न्यायोचित है तथा उभयपक्ष के पक्षकारों की सहमति से एक ही निर्णय से इनका निस्तारण किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावे।

2. प्रकरणों का संक्षिप्त सारगर्भित सार इस प्रकार है:—

A.अपील सं. 25/2024(2024/49) (टीकमचंद बनाम हरजीराम उर्फ हरिकिशन, किशनाराम वगैरा)

यह अपील तहसीलदार बालेसर द्वारा प्रकरण सं. 1/2017 अनवान हरजीराम बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 16.03.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 18.07.2018 को पेश की गई है। उक्त आदेश दिनांक 16.03.2018 से ग्राम बारनाउ (हाल तहसील चामू) के ख.नं. 647/1 रकबा 3—11 बीघा में से 500 वर्गगज भूमि मकान बाड़ा के रूप में हरजीराम पुत्र आदूराम के नाम से तथा 500 वर्गगज भूमि मकान बाड़ा के रूप में किशनाराम पुत्र आदूराम के नाम सरकारी भूमि का नियमन कर दिनांक 16.03.2018 से सनद जारी की गई है।

B.अपील सं. 23/2024 (2024/55) (टीकमचंद बनाम प्रेमराज पुत्र आदूराम वगैरा)

यह अपील तहसीलदार सेखाला द्वारा प्रकरण सं. 01/2022 अनवान प्रेमराज बनाम स्टेट में पारित नियमन आदेश दिनांक 11.07.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 07.12.2022 को पेश की गई है। उक्त आदेश दिनांक 11.07.2022 से ग्राम बारनाउ के खसरा नं. 647 रकबा 3—11 बीघा में से 500 वर्गगज भूमि मकान व बाड़ा के रूप में प्रेमराज पुत्र आदूराम के नाम सिवायचक भूमि का नियमन कर दिनांक 12.07.2022 को सनद जारी की गई है।

C.अपील सं. 26/2024 (2024/51) (टीकमचंद बनाम गणपतलाल पुत्र आदूराम वगैरा)

यह अपील तहसीलदार बालेसर द्वारा प्रकरण सं. 01/2018 अनवान गणपतलाल बनाम सरकार में पारित नियमन आदेश दिनांक 03.01.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 25.10.2021 को पेश की गई है। उक्त आदेश दिनांक 03.01.2020 से ग्राम बारनाउ के खसरा नं. 647/1 रकबा 3—11 बीघा राजकीय सिवायचक भूमि में से 500 वर्गगज भूमि बाड़ा/मकान के रूप में गणपतलाल पुत्र आदूराम के नाम सिवायचक सरकारी भूमि का नियमन कर दिनांक 03.01.2020 को सनद जारी की गई है।

3. तहसीलदार बालेसर द्वारा ग्राम बारनाउ के [illegible] सिवायचक भूमि खसरा नं. 647/1 एवं तहसीलदार सेखाला के द्वारा ग्राम बारनाउ के राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नं. 647 में से उक्तानुसार [illegible] मकान/बाड़ा के रूप में करने से

अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:54:39 IST
Reason: SelfAttested

व्यथित होकर उक्त तीनों अपीलें, अपीलांट टीकमचंद ने विभिन्न आधारों पर पेश कर, अपीलाधीन आदेशों को अपास्त करने हेतु पेश की है।

4. अपीलें दर्ज रजिस्टर, प्रत्यर्थीगण को नोटिस/समन जारी किये गये। प्रत्यर्थीगण हरिकिशन, किशनाराम, प्रेमराज व गणपतलाल की ओर से श्री लाधूराम वगैरा एडवोकेट्स ने वकालतनामा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावलियां तलब की गई, जो प्राप्त हुई।

5. प्रकरणों से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि

I. ग्राम बारनाऊ हाल तहसील चामू (पूर्व बालेसर) का खसरा नं. 647 रकबा 3–11 बीघा किस्म बारानी दोयम को ग्राम पंचायत बारनाऊ के प्रस्ताव सं. 1 दिनांक 22.03.1996 से पंचायत मुख्यालय पर विभिन्न सरकारी कार्यालयों के लिए सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। उप तहसीलदार बालेसर द्वारा 10 बिस्वा राजस्व अपील प्राधिकारी कोर्ट का स्टे बताया तथा शेष 3–01 बीघा भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित करना उचित बताया, जिस पर जिला कलक्टर, जोधपुर आदेश क्रमांक:– राजस्व/आरक्षण/तह. शेर./97/5151 दिनांक 26.08.1997 से 3–01 बीघा भूमि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत विभिन्न सरकारी कार्यालय प्रयोजनार्थ आरक्षित की थी। उक्त आरक्षित भूमि का उपयोग दीगर प्रयोजनार्थ नहीं किया जायेगा। नामांतरकरण सं. 1001 से इन्द्राज किया। कलक्टर के उक्त आदेश दिनांक 26.08.1997 के विरूद्ध हरजीराम व किशनाराम ने एक अपील सं. 121/2015 को राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर में पेश की जिसे दिनांक 28.06.2016 को आंशिक रूप से स्वीकार की तथा एक बीघा भूमि को आरक्षण से मुक्त करते हुए राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प–9(6)राज/697/7 दिनांक 27.06.2001, प–9(6)राज/6/2000/3 दिनांक 30.01.2006 सहित अन्य परिपत्रों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु नियमन हेतु प्रकरण निस्तारित किया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट टीकमचंद ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील/एल.आर./6199/2016 अनवान टीकमचंद बनाम हरजीराम इत्यादि पेश करने पर राजस्व मण्डल ने दिनांक 06.09.2016 को राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 28.06.2016 के क्रियान्वयन व प्रभाव को ... र दिया। राजस्व मण्डल में उक्त द्वितीय अपील अभी ... है।

II. अपीलांट का यह भी कथन ... तहसीलदार द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के आदेश दिनांक 28.06.20... की पालना में प्रकरण दर्ज कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:54:39 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

एवं तहसीलदार, सेखाला द्वारा अपीलाधीन नियमन आदेश समय-समय पर पारित किये है। जो कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल है। पत्रावलियों पर पुराने कब्जों के सबूत के दस्तावेज नहीं है तथा उनका भौतिक कब्जा भी नहीं है। राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28.06.2016 को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 06.09.2016 को अपील सं. 6199/2016 में स्थगित कर दिया था, जिसकी जानकारी अधीनस्थ न्यायालय को पूर्ण रूप से थी, फिर भी अपीलाधीन आदेश पारित किये है, जो काबिले खारिज है। राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के समक्ष ग्राम पंचायत पक्षकार थी परंतु तहसीलदार ने ग्राम पंचायत को तलब नहीं किया, जो विधि प्रावधानों के विपरीत है। इसी प्रकार जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 26.08.1997 को विवादग्रस्त भूमि सार्वजनिक कार्यालयों के लिए आरक्षित कर दी थी, फिर भी नियमन करने से पूर्व आम जनता से आपत्तियां आमंत्रित नहीं की गई, जो कि जनहित में आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीगण ने दस्तावेजों की सिर्फ फोटो प्रतियां पेश की है, जिस पर विश्वास करके नियमन आदेश पारित किये गये है, जो कानूनन गलत होने से अपीलाधीन आदेश निरस्त [illegible] है। अतः अपील स्वीकार की जाकर नियमन आदेशों को निरस्त किया जावे।

6. प्रत्यर्थीगण की ओर से अपील करने की अनुमति देने हेतु प्रस्तुत [illegible] में अंकित कथनों का जवाब देते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी का ख.नं. 647/1 की भूमि से कोई लेना देना नहीं है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीगणों को मात्र हैरान-परेशान करने के लिए अपीले पेश की हैं विवादग्रस्त भूमि पर प्रत्यर्थीगण का पीढियों का पुराना कब्जा व मालिकाना हक है, जिस पर रहवासीय मकान व बाड़ा बना हुआ है। सरकारी भूमि पर पुराना कब्जा होने से सरकारी नीति अनुसार कब्जे का नियमन किया गया है, जिसमें तहसीलदार अधिकृत है। अपीलार्थी, प्रत्यर्थीगण से राजनैतिक द्वेषभाव रखता है व गांव की पार्टीबाजी की वजह से हमको तंग परेशान करने व खर्चे से जेरबार करने के लिए ये अपीलें प्रस्तुत की है। राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर ने निर्णय दिनांक 28.06.2016 से एक बीघा भूमि तक नियमन करने की अनुमति दी तथा कलक्टर के आदेश दिनांक 26.08.1997 में एक बीघा भूमि पर नियमन के आदेश तहसीलदार बालेसर को दिये है। राजस्व मण्डल में अपीलार्थी द्वारा पेश अपील में उजर एतराज को सुरक्षित रखते हुए दर्ज किया है। पीठासीन अधिकारी से सांठगांठ करके अपीलाधीन नियमन आदेश प्राप्त करने का आरोप निराधार [illegible] के अतिरिक्त इसी खसरा सं. 647 में से 10 बिस्वा भूमि [illegible] गई है, परंतु किसी ने भी चुनौती नहीं दी। इस प्रकार [illegible] जा सकती। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:54:39 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपीलांट को यह अपील पेश करने का कोई अधिकार ही नहीं है तथा अनुमति मांगने का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे तथा अपील को भी खारिज किया जावे।

7. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

I. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता श्री रूघाराम चौधरी ने अपील मीमों एवं अपील पेश करने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ग्राम बारनाऊ का जागरूक व्यक्ति है एवं सार्वजनिक संपति की सुरक्षा हेतु काफी वर्षों से प्रयासरत है। आदूराम के परिवार के चार सदस्यों के नाम नियमन किया गया है। अपीलांट व गांव के अन्य लोगो ने राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा अपील सं. 121/2015 में पारित निर्णय दिनांक 28.06.2016 के विरूद्ध भी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे अपील सं. 6199/2016 टीकमचंद वगैरा बनाम हरजीराम उर्फ हरिकिशन वगैरा पेश की है, जो अभी तक विचाराधीन है। जिसमें अगली सुनवाई तिथि 13.05.2025 नियत है तथा उक्त अपील मे राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 28.06.2016 पर स्थगन आदेश है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बालेसर द्वारा ख.नं. 647/1 की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि पर स्थगन आदेश के बावजूद प्रत्यर्थीगण के नाम गैर कानूनी तरीके से नियमों/परिपत्रों की अनदेखी करके भूमि का नियमन किया है, जिसका असर अपीलांट सहित आम आदमी के हितो पर पड़ा है, इस कारण अपीलांट को ये अपीले पेश करने की अनुमति दी जावे ताकि अपीलांट सार्वजनिक हितों के लिए सार्वजनिक संपति की सुरक्षा कर सके।

विद्वान अधिवक्ता ने आगे बहस करते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत बारनाऊ ने प्रस्ताव संख्या दिनांक 22.03.1996 को पारित करके ख.नं. 647 की भूमि सरकारी कार्यालयों के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव प्रत्यर्थी प्रेमराज ने ही सरपंच की हैसियत से पारित करवाया था, परंतु बाड़ ही खेत को खा गई। प्रेमराज स्वयं ने अपने नाम ख.नं. 647 में 500 वर्गगज का झूठा नियमन करवा लिया। अतः सार्वजनिक हितों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए अपीलांट को अपीले पेश करने की अनुमति दी जावे।

II. अपीलांट की ओर उक्तानुसार बहस में प्रस्तुत तर्कों का प्रत्युत्तर देते हुए प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री लाधु[illegible] ने प्रार्थना पत्र के जवाब में अंकित कथनों को दोहराते हुए तर्क दिया कि [illegible] अपीलांट के अधिकार, हित किस प्रकार से प्रभावित हो रहे है, वह किस प्रकार से हितबद्ध/प्रभावित व्यक्ति है। सरकारी भूमि का सरकारी नीति के तहत नियमन किया गया है। अपीलांट के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:54:39 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अधिकारों का किसी भी प्रकार से कुठाराघात नहीं हो रहा है। ख.नं. 647 की भूमि सार्वजनिक सरकारी भूमि है तथा टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 में वर्णित प्रावधानों से प्रभावित नहीं हो रही है। इसलिए प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि नहीं होने से अपीलांट को अपील पेश करने का कोई अधिकार ही नहीं है। अपीलांट स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है। गांव की स्थानीय राजनैतिक द्वेषता के कारण अपीलांट ने यह अपीले पेश की है। अतः अपीले भारी हर्जाना/खर्चे के साथ खारिज की जावे।

III. प्रत्यर्थीगण की उक्त बहस के रिबटल बहस में अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 16(6) के प्रावधानानुसार अपीलांट ये अपीले कर सकता है। अपीलांट गांव का स्थानीय निवासी है तथा अपीलांट को सार्वजनिक संपति का उपयोग व उपभोग करने का अधिकार है। सरकारी कार्यालय के लिए आरक्षित मुख्य सडक पर पर स्थित भूमि का प्राईवेट व्यक्तियों के नाम नियमन कर देने से सरकारी संस्थाओं के लिए मुख्य सडक पर भूमि उपलब्ध नहीं होगी, जिससे आम जनता को आवागमन में भारी असुविधा होगी। इसी भूमि के पास सरकारी अन्य भवन स्थित है। अतः अपीलांट ने सार्वजनिक हित को सुरक्षित करने के लिए अपीले पेश की है। राजनैतिक द्वेषता का आरोप बेबुनियाद है।

IV. हस्तगत अपीलों को मेरिट पर सुनने एवं निर्णित करने से पूर्व, अपीलांट द्वारा अपीले पेश करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को निर्णित करना न्यायोचित है। हमने प्रार्थना पत्र में व जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों तथा उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत कथनों व तर्कों का अध्ययन किया तथा उन पर गंभीरता से ध्यानपूर्वक मनन किया। ग्राम पंचायत बारनाउ द्वारा दिनांक 22.03.1996 को पारित प्रस्ताव 1 अनुसार ग्राम बारनाउ का ख.नं. 647 रकबा 3-11 बीघा, किस्म बारानी द्वितीय की भूमि है, जो राजकीय सिवायचक भूमि है। यह भूमि गांव की आबादी भूमि से लगती हुई है तथा ग्राम बारनाउ से चामू जाने वाली मुख्य सडक पर आई हुई है, जिसके पास में नाडी आई हुई है तथा पास में उच्च माध्यमिक विद्यालय, पंचायत भवन, उप स्वास्थ्य केन्द्र, जलदाय विभाग की पानी का नलकूप बने हुए है। [illegible] के लिए इस भूमि का महत्व है। इसलिए इस भूमि को सार्वजनिक [illegible] के लिए सुरक्षित रखना आवश्यक है। पंचायत ने इसे आरक्षित [illegible] का निर्णय लिया है। ग्राम पंचायत बारनाउ के सरपंच प्रेमराज ने उक्त प्रस्ताव [illegible] 22.03.1996 की पालना में पत्रांक 229 दिनांक 03.04.1996 से जिला कलक्टर, जोधपुर को भूमि आरक्षित करने का

अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:54:39 IST
Reason: SelfAttested

निवेदन किया। उप तहसीलदार बालेसर ने पत्रांक 553 दिनांक 11.03.1997 से ख.नं. 647 की 3–11 बीघा भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित करने हेतु प्रस्ताव पेश किये, जिसके बाद जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर ने आदेश क्रमांक राजस्व/आरक्षण/तह.शेर./97/5151 दिनांक 26.08.1997 से ख.नं. 647 रकबा 3–11 बीघा में से 3–01 बीघा भूमि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत संलग्न मानचित्र अनुसार सार्वजनिक/विभिन्न सरकारी कार्यालय प्रयोजनार्थ आरक्षित की तथा तहसीलदार शेरगढ को आरक्षित भूमि का सीमांकन करने तथा भविष्य में इस ग्राम में स्वीकृत होने वाले सरकारी कार्यालयों आदि के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव इसी आरक्षित भूमि में से भिजवाने के आदेश पारित किये तथा उक्त आरक्षित भूमि का उपयोग दीगर प्रयोजनार्थ नहीं किया जायेगा, ऐसा भी आदेश पारित किया। नामांतरकरण सं. 1001 से इसका रिकॉर्ड में इन्द्राज किया गया। उक्त आरक्षण आदेश पारित करने के लिए तहसीलदार से प्राप्त प्रस्तावों के सलंग्न पटवारी ग्राम बारनाउ की मौका रिपोर्ट दिनांक 01.03.1997 के अनुसार ख.नं. 647 की भूमि बारनाउ से चामू जाने वाले सडक पर अवस्थित है तथा पास में ख.नं. 649 में ग्राम पंचायत भवन, पटवार घर एवं स्कूल आदि बने हुए है तथा ग्राम पंचायत ने ख.नं. 647 की भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित रखने का प्रस्ताव लिया है। प्रस्ताव के संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार इसकी पुष्टि होती है। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर के उक्त आरक्षण आदेश दिनांक 26.08.1997 की पालना में ग्राम बारनाउ के नामांतरकरण संख्या 1001 से 647/1 से 03–01 बीघा भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ बी–।। सरकारी दर्ज की। कलक्टर, जोधपुर के आदेश दिनांक 26.08.1997 से व्यथित होकर हरजीराम व किशनाराम ने राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में अपील सं. 121/2015 दायर की, जो निर्णय दिनांक 28.06.2016 से आंशिक रूप से 1 बीघा भूमि को छोडकर निस्तारित की, परंतु राजस्व अपील प्राधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट टीकमचंद व अन्य लोगों ने राजस्व मण्डल में अपील सं. एल.आर./6199/2016 जोधपुर पेश कर आदेश दिनांक 06.09.2016 राजस्व अपील अधिकारी के आदेश दिनांक 28.06.2016 के कियान्वयन व प्रभाव पर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया, जिसमें सरकार भी आवश्यक पक्षकार है तथा हरजीराम व किशनाराम भी पक्षकार है। राजस्व मण्डल में उक्त अपील आज भी लंबित है तथा अगली सुनवाई 13.05.2025 नियत है। उक्त स्थगन आदेश के बावजूद तहसीलदार बालेसर ने अपीलाधीन 02 प्रकरणों में तथा नायब तहसीलदार ने 01 प्रकरण में आदेश पारित किये है। जिससे व्यथित होकर राजस्व मण्डल में अपीलांट ने ये अपीले इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:54:39 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

न्यायालय में पेश की है तथा अपीले पेश करने के लिए अनुमति प्रार्थना पत्र में दौराने बहस जो आधार पेश किये है, उनसे हम सहमत है। अपीलाधीन आदेशों से अपीलांट निश्चित रूप से प्रभावित हुआ है तथा अपीलांट के सार्वजनिक हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। जिसका विस्तृत विवरण अपीलांट की ओर से दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों में अंकित विवरण से हम संतुष्ट है। अतः अपीलांट द्वारा हस्तगत अपीलें पेश करने हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किये जाते है तथा इन अपीलों का गुणावगुण पर निस्तारण करना न्यायोचित है।

8. अपीलांट द्वारा अपीले पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु न्याद कानून की धारा 5 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपीले अंदर म्याद शुमार करने का निवेदन किया है। अपीलांट का कथन है कि अपीलांट्स ने राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा अपील सं. 121/2015 में पारित निर्णय के विरूद्ध राजस्व मण्डल, अजमेर में अपील सं. 6199/2016 अपील पेश कर स्थगन आदेश दिनांक 06.09.2016 को प्राप्त कर लिया था जिससे राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28.06.2016 के प्रभाव व क्रियान्वयन पर स्थगन था।

I. अपील सं. 23/2024 (टीकमचंद बनाम प्रेमराज) में अपीलांट का कथन है कि दिनांक 01.12.2022 को ग्राम बासनाव में चर्चा चली कि राजस्व मण्डल के द्वारा स्थगन आदेश जारी करने के बावजूद प्रत्यर्थी प्रेमराज के पक्ष में 5 बिस्वा भूमि का नियमन आदेश पारित हो गया है। अपीलांट ने तुरंत आवेदन कर 01.12.2022 को तहसीलदार के आदेश की प्रति प्राप्त कर ली तथा अपील अपीलाधीन आदेश की जानकारी की तारीख से अंदर म्याद पेश कर दी है। अतः देरी को कन्डोन किया जावे।

II. अपील सं. 25/2024 (टीकमचंद बनाम किशनाराम व हरजीराम) में अपीलांट का कथन है कि हरजीराम ने बाले-बाले तहसीलदार से नियमन आदेश दिनांक 16.03.2018 को राजस्व मण्डल से स्टे होने के बावजूद प्राप्त कर लिया जिसकी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 01.07.2018 को मौके पर हरजीराम द्वारा निर्माण सामग्री डालना शुरू करने पर हुई, जिसके बाद अधीनस्थ न्यायालय से दिनांक 09.07.2018 को प्रतिलिपि प्राप्त [illegible] पेश कर दी है, जिसे स्वीकार की जावे।

III. इसी प्रकार अपील सं. 26/2024 (टीकम[illegible] बनाम गणपतलाल) में अपीलांट का कथन है कि राजस्व [illegible] 6199/2016 में स्टे आदेश होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.01.2020 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:54:39 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय जिला कलक्टर (भूअवाप्ति)
जोधपुर

बाले–बाले पारित किया, जिसकी सर्वप्रथम अपीलांट को दिनांक 30.09.2021 को गांव बारनाउ में पट्टा जारी होने की चर्चा से जानकारी हुई। दिनांक 08.10.2021 को आदेश की प्रति प्राप्त होने पर अपील अंदर म्याद पेश कर दी है, जिसे स्वीकार किया जावे। प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र पेश किये है।

IV. अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्रों में अंकित अभिकथनों का प्रत्यर्थी द्वारा जवाब पेश कर खण्डन नहीं किया है तथा न ही ऐसा दस्तावेजी सबूत पेश किया है, जिससे यह प्रमाणित हो कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की अमुख तिथि से जानकारी पूर्व में थी तथा अपील म्याद बाहर है।

V. हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 म्याद अधिनियम में अंकित कथनों व दौराने बहस उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों का अध्ययन कर उन पर मनन किया। स्वीकार्य रूप से अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में आवश्यक पक्षकार नहीं था तथा राजस्व मण्डल द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 06.09.2016 से निश्चिंत था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा ही अपीलाधीन आदेश पारित किये है, तथा प्रत्यर्थीगण ने साक्ष्य से अपीलांट को अमुख तिथि से आदेश की जानकारी होना साबित नहीं किया है। अतः अपीलांट द्वारा अपीलें पेश करने में हुई देरी सद्भाविक प्रतीत होने से स्वीकार योग्य है। फलस्वरूप, अपीलें पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाते है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाता है तथा अपीलें अन्दर म्याद पेश होना शुमार की जाती है तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण आधार पर किया जा रहा है।

9. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

10. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता श्री [illegible] चौधरी ने अपील मीनों में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त तीनों अपीलों में विधि प्रावधान व तथ्य समान है तथा तीनों प्रकरणों में इसी बहस को मानी जावे। इनके द्वारा फॉर्म 3 में प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है। इनका कथन कि ग्राम बारनाउ का ख.नं. 647 रकबा 3–11 बीघा राजकीय सिवायचक भूमि थी। दिनांक 22.03.1996 को ग्राम पंचायत बारनाउ के वार्ड पंच प्रभुदयाल के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव सं. 1 पारित कर भूमि को सार्वजनिक सरकारी [illegible] के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया गया। उस समय [illegible] ग्राम पंचायत की मांग पर तहसीलदार से प्रस्ताव [illegible] दिनांक 26.08.1997 को आदेश जारी कर भूमि को सेट अपार्ट कर दिया। [illegible] हरजीराम के विरूद्ध धारा 91 एल. आर.एक्ट के तहत इसी खसरा पर अतिक्रमण करने से दिनांक 27.02.2009 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:54:39 IST
Reason: SelfAttested

उपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

(2/2009 में) बेदखली का आदेश पारित हुआ, जिसके विरूद्ध अति. जिला कलक्टर, प्रथम, जोधपुर में अपील (8/2009) दायर की गई, जो दिनांक 31.07.2009 को खारिज की गई, जिसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर ने दिनांक 30.07.2010 को अपील (60/2010) को स्वीकार प्रकरण तहसीलदार, बालेसर को रिमाण्ड किया, जिसमें तहसीलदार ने ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाया, जिसके विरूद्ध निगरानी पेश होने पर राजस्व मण्डल ने ग्राम पंचायत को पक्षकार से हटा दिया। इस दौरान हरजीराम ने नियमित राजस्व वाद पेश किया तथा तहसीलदार को धारा 91 के तहत कार्यवाही रोक दी जावे, की प्रार्थना की। तहसीलदार ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल में रिविजन पेश की, जिसे मण्डल ने दिनांक 20.09.2017 को खारिज कर दी। इसके बाद दिनांक 12.11.2022 को हरजीराम ने घोषणात्मक वाद को विड्रो कर लिया। कलक्टर के आदेश दिनांक 26.08.1997 को राजस्व अपील प्राधिकारी में 2015 में हरजीराम, किशनाराम ने चुनौती दी। सेट अपार्ट के आदेश का म्यूटेशन सन 2013 में प्रशासन गांवों के संग अभियान में नामांतरकरण हुआ। राजस्व अपील प्राधिकारी कोर्ट ने दिनांक 28.06.2016 को निर्णय पारित कर कलक्टर के सेट अपार्ट आदेश दिनांक 26.08.1997 को आंशिक रूप से बदल दिया, जिसके विरूद्ध अपीलांट टीकमचंद वगैरा ने राजस्व मण्डल में अपील दायर करके राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश का कियान्वयन व पालना पर [illegible] कर ली। यह अपील सं. 6199/2016 आज भी मण्डल में विचाराधीन है।

इसी प्रकार इसी खसरा नं. [illegible] में [illegible] का मामला मण्डल में लंबित है, जो धारा 91 भू राज. अधि. के तहत है।

मण्डल के स्थगन आदेश के बावजूद हरजीराम व किशनाराम वगैरा के पक्ष में तहसीलदार ने सनद जारी कर दी, जिसके विरूद्ध ये अपीले पेश की गई है।

आदूराम के चारों लडको प्रेमराज, किशनाराम, हरजीराम व गणपतलाल के पक्ष में 1 बीघा भूमि आवंटित कर दी गई है। इन चारों भाईयों के पक्ष में नियमन विधि विरूद्ध हुआ है। इनके नाम से गांव में पहले से ही जमीन मौजूद है। ख.नं. 646 की भूमि, विवादास्पद भूमि ख.नं. 647 से लगती हुई है, जो इनकी खातेदारी में है, इसे हडपने की कार्यवाही की है। इसी प्रकार ख.नं. 523, 437/1, 437/2, 106 में भी इनकी खातेदारी है। ख.नं. 647 की भूमि मु[illegible] पर होने से बेशकीमती है। नियमन करवाकर दुकाने बना [illegible] सरपंच की हैसियत से भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित [illegible] अब प्रेमराज ने ही अपने नाम नियमन करवा लि[illegible] सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित की हुई है। अतः कोई भी नागरिक कोर्ट में जा सकता है। मौके पर दुकाने बना ली है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:54:39 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

जिसके फोटोग्राफ्स पेश किये है। पत्रावली सं. 01/2018 गणपतलाल में तो बहुत तीव्र गति से संपूर्ण कार्यवाही पूरी कर आदेश पारित किया गया है।

इसी प्रकार प्रेमराज के प्रकरण में तहसीलदार, सेखाला ने उसी दिन कार्यवाही कर दिनांक 11.07.2022 को ही सनद जारी कर दी है, जिसने पहले भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित करने का प्रस्ताव पारित किया था तथा सरपंच थे। उक्त नियमों का कोई आधार नहीं है। बिना सबूत के ही नियमन किये है। प्रेमराज आदतन अतिकमी है। उसने ख.नं. 649 में अतिक्रमण कर रखा है जिसमें तहसीलदार, बालेसर ने दिनांक 10.12.2012 को अतिकमी घोषित किया है। अतिकमण गोचर भूमि पर है। उक्त तीनों पत्रावलियों में सेट अपार्ट की गई भूमियों का नियमन करवा लिये है, जो विधि विरूद्ध है। प्रकरण के समस्त कागजात पेश किये। अतः अपील स्वीकार कर, नियमन निरस्त किये जाकर भूमि पुनः सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सरकारी दर्ज की जावे। परिपत्रों अनुसार इनके प्रकरण नियमित नहीं हो सकते।

11. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री लाधूराम पूनिया ने बहस करते हुए कथन किया कि ख.नं. 647 की भूमि राजकीय सिवायचक भूमि है, जिसे जिला कलक्टर महोदय ने ग्राम पंचायत के लिए सेट अपार्ट दिनांक 26.08.1997 को की है। जिसमें से आधा बीघा भूमि पहले से ही अतिकमित होने से कम कर दी गई। अतः आरक्षित भूमि में से एक बीघा भूमि आबादी प्रयोजनार्थ हेतु राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर में अपील पेश की, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर, कलक्टर के आदेश को संशोधित कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध सरकार ने अभी तक अपील नहीं की है। अतः प्रत्यर्थीगण के पक्ष में नियमन की कार्यवाही विधि सम्मत है तथा नियमन प्रक्रिया अपनाकर किया है। अपीलांट को अपील पेश करने का कोई अधिकार ही नहीं है। अतः अपीलें अस्वीकार की जावे। प्रत्यर्थीगण के नाम खातेदारी भूमि जरूर है परंतु आबादी भूमि में आवासीय भूमि नहीं है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 31 के तहत काश्तकारों को आबदी भूमि में रहवास के लिए भूमि प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। उक्त धारा 31 के कियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने कई परिपत्र जारी किये है, जिनके तहत प्रत्यर्थीगण को आबादी भूमि में आवास के लिए भूमि नियमन कराने का विधिक अधिकार है। अपीलांट ने राजनैतिक द्वेष से प्रत्यर्थीगण को तंग, परेशान करने के लिये ये अपीलें पेश की है। अतः खर्चे हरजे के साथ [illegible] खारिज की जावे।

12. अपीलांट्स के विद्वान अधि[illegible] प्रत्युत्तर देते हुए कथन किया कि गंगाविशन को दिनांक [illegible] को [illegible] हुआ, जिसके विरूद्ध ग्राम पंचायत ने अति. जिला कलक्टर, प्रथम, जोधपुर [illegible] अपील सं. 22/2008 पेश हुई, जो 25.05.2010 को खारिज की गई, जिसकी अपील भी राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:54:39 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

में अपील सं. 70/2010 दिनांक 30.05.2012 को स्वीकार हो गई तथा अब राजस्व मण्डल में पेन्डिंग है। अतः ख.नं. 647 में नियमन नहीं किया जा सकता। गंगाविशन को आधार नहीं बनाया जा सकता।

13. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों में उपलब्ध अभिलेख, उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दौरान बहस प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा राजकीय भूमि का नियमन आवासीय प्रयोजनार्थ करने बाबत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नीतिगत परिपत्रों में वर्णित दिशानिर्देशों तथा विधि प्रावधानों का ससम्मान अवलोकन किया। हमारा विनिश्चय इस प्रकार है:-

A. प्रकरणों का गुणावगुण पर परीक्षण करने के लिए प्रकरणों में लागू विधिक प्रावधान की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है।

1. राजस्थान सरकार, राजस्व (ख) विभाग के परिपत्र क्रमांक प-6(17)राज/ख/71, जयपुर दिनांक [illegible]1971 से सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रूप से बनाए गये मकान व बाड़ों के नियमन करने बाबत विस्तृत निर्देश जारी किये गये। जिसके अनुसार जिन व्यक्तियों ने दिनांक 31.12.1970 तक राजकीय कृषि भूमि, गोचर भूमि, गैर मुमकिन भूमि एवं वन भूमि पर स्वयं के उपयोग के लिए रहने हेतु मकान का निर्माण या बाड़ा बनाकर भूमि का रूपांतरण या अधिक्रमण किया हो तो उन्हें निःशुल्क या निर्धारित प्रीमियम शुल्क लेकर नियमन कर मालिकाना हक दे दिया जावे, जिसकी अधिकतम सीमा 1000 वर्गगज निर्धारित की गई। उक्त व्यवस्था परिपत्र के पैरा 3 व 4 में की गई। परिपत्र के पैरा 5 में तहसीलदारों को पांच रूपये शुल्क लेकर सनद जारी करने हेतु अधिकृत किया गया। सनद का प्रपत्र भी निर्धारित किया गया। उक्त नियमन परिपत्र के पैरा 1 में वर्णित निर्दिष्ट सीमानों के तहत ही करना था तथा अधिक क्षेत्रफल से आसामियों को बेदखल करना था।

उक्त परिपत्र में पत्रांक प-6(10)राज/ग्रुप-4/74 दिनांक 23.01.74, प-6(71)राज/ख/71 दिनांक 27.05.1975 से आंशिक संशोधन भी किया गया तथा नियमन हेतु आवेदन पत्र का एक प्रपत्र भी निर्धारित किया गया। जिसमें राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 31 तथा राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 15 के [illegible] मकान बनाने के लिए निःशुल्क भूमि प्राप्त करने की पात्रता [illegible] करना है। आवेदित भूमि का ख.नं., क्षेत्रफल, भूमि [illegible] तथा [illegible] मकान निर्माण की तारीख, मकान निर्माण के ब्यौरे अर्थात [illegible] किस किस्म का मकान बनाया गया है तथा उसको क्षेत्रफल कितना है, अंकित करना है। परिपत्र के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:54:39 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर (अपील्स)
जोधपुर

पैराग्राफ–2 में अंकित घेरे (परिधि) या सीमाओं के अंदर सिथत है या नहीं, की भी सूचना देनी है। आवेदन पत्र में अन्य घोषणाए भी करनी है तथा आवेदन का सत्यापन करना है तथा गवाहों का अंकन भी करना है।

राजस्व (ग्रुप–4) विभाग के परिपत्र कमांक प–6(17)राज/ख/71 पार्ट दिनांक 09.02.76 से पांच सौ वर्गगज तक की भूमि का निःशुल्क तथा 500 वर्गगज से अधिक अतिकमित भूमि का 1000 वर्गगज तक की सीमा में 25 पैसे प्रति वर्गगज शुल्क वसूल करने के निर्देश दिये गये।

राजस्व (ग्रुप–4) विभाग के परिपत्र कमांक प–6(10)राज/ग्रुप–4/77 दिनांक 23.04.1977 द्वारा दिनांक 01.07.1975 तक किये गये अतिकमणों का नियमन परिपत्र 03.07.1971 में उल्लेखित शर्तों व निर्बंधनों के तहत करने के निर्देश दिये है।

II. राजस्थान सरकार, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक प–9(6)राज–6/2000/2 दिनांक 30.06.2006 में वर्णित अनुसार परिपत्र कमांक प–9(6)राज–6/2000/14 दिनांक 31.07.2001 एवं प–9(6)राज–6/2000/16 दिनांक 16.10.2001 के द्वारा अधिसूचित समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में सिवायचक व अन्य गैर मुमकिन राजस्व भूमियों पर दिनांक 01.07.1989 से पूर्व आवास गृह व जानवरों के बाडे बनाकर किये गये अतिकमणों का नियमन करने के निर्देश जारी किये जाने का उल्लेख है तथा इस परिपत्र दिनांक 30.06.2001 से दिनांक 01.07.1989 की अवधि बढाकर 01.01.1995 कर दी गई तथा नियमन करने हेतु परिपत्र कमांक प–6(17)राज/ख/71 दिनांक 03.07.1971 तथा प–6(10)राज/4/77 दिनांक 23.04.1977 में वर्णित शर्तें एवं निर्बंधन लागू होगें। इस परिपत्र में यह प्रावधान किया गया कि वन विभाग व अन्य प्रतिबंधित किस्मे जैसे ओरण, जोहड, पायतन, नदी, तालाब का पेटा, श्मशान, कब्रिस्तान व मंदिरों की भूमियों तथा किसी उद्देश्य हेतु अवाप्ति सुदा भूमियों, राजकीय उपकम व राजकीय विभाग की भूमियों का नियमन नहीं होगा। किसी भी प्रकार की सरकारी भूमि जमीन आवास व बाडों का नियमन नहीं किया जायेगा।

III. राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक–प–9(6) राज–6/2000/1 दिन[illegible]995 की अवधि को बढाकर दिनांक 01.01.2000 किया [illegible] तथा परिपत्र कमांक प–9 (6) राज–6/2000/1 दिन[illegible]3 से [illegible] 01/01/2000 की अवधि बढाकर दिनांक 01.01.2005 की गई [illegible] प्रावधान किए गए है– परिपत्र के पैरा 1 में भूमि अवस्थित होने की सीमाए निर्धारित की गई है जिसमें हस्तगत

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:54:39 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

प्रकरण के लिए बिन्दु संख्या (v), (vi), (x), (xi) राजकीय विभाग की भूमियां, मुख्य है। परिपत्र के पैरा 2 व 3 में सिवायचक/गैर मुमकिन भूमि पर 01.01.2005 से पूर्व मकान या बाड़ा बनाकर अतिक्रमण करने पर आज तक 500 वर्गगज तक प्रीमियम शुल्क 1 रूपये प्रति वर्ग गज वसूलकर नियमन कर, मालिकाना हक देने का प्रावधान किया है तथा तहसीलदार को 5 रूपये शुल्क लेकर सनद जारी करने हेतु अधिकृत किया है तथा 500 वर्गगज की भूमि से अधिक की भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के निर्देश है।

IV. राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प9(6) राज–6/2000/10 दिनांक 07.09.2017 से ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी विस्तार हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत आरक्षण बाबत निर्देश दिए है कि दिनांक 01.01.2017 तक सिवायचक भूमि पर आवास गृह बनाकर किए गए अतिक्रमणों की सूचियां बनाई जावे। आवास/निर्माण का सबूत लिया जावे। सूचियों के आधार पर कलक्टर भूमि को आबादी प्रयोजनार्थ सेट अपार्ट करेंगे तथा ग्राम पंचायत को भूमि आवंटन करेंगे तथा ग्राम पंचायत एक परिवार को अधिकतम 300 वर्गगज तक का ही पट्टा जारी करेगी जिनके पास पूर्व में आवासीय मकान नहीं है। नियमन करने की शर्ते भी निर्धारित की गई।

राजस्व विभाग के उक्त परिपत्र दिनांक 07.09.2017 को मूर्तरूप देने हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग) के परिपत्र क्रमांक–एफ–4(78)सिवायचक/नियमन/विधि/परा/2017/1102 दिनांक 15.09.2017 से राजस्व विभाग के उक्त परिपत्र दिनांक 07.09.2017 से कलक्टर द्वारा आबादी प्रयोजनार्थ अतिक्रमित सिवायचक भूमि को आबादी प्रयोजनार्थ सेट अपार्ट कर ग्राम पंचायतों को आवंटित करने पर [illegible] पंचायती राज नियम 1996 के नियम 165(4) अनुसार अतिक्रमणों का नियमन कर आवंटन करने के आदेश जारी किए है। नियम 165(4) इस प्रकार है:–

"165(4)– पंचायत भूमि पर के अतिचारियों का सर्वेक्षण एवं अतिक्रमणों का हटाया जाना– (4) यदि पंचायत की यह राय है कि यदि ऐसे अतिचार का विनियमन कर दिये जाने से नियम 148 में उल्लेखित शर्तो का उल्लंघन नहीं होता है तो वह अतिचारी को बाजार कीमत पर आवंटित [illegible] विनिश्चय कर सकेगी।" अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही [illegible] समस्त जिला कलक्टर्स एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषदों को [illegible] गए।

अतः उक्त दोनों परिपत्र [illegible] एवं 15.09.2017 की पालना करने हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:54:39 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

प.राज. विभाग के संयुक्त हस्ताक्षरों से, ग्रामीण विकास विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ4(78) सिवायचक/नियमन/विधि/परा/2017/1184 दिनांक 03.10.2017 को समस्त जिला कलक्टर राजस्थान को जारी किया गया। इस परिपत्र में सिवायचक भूमि पर दिनांक 01.01.2017 तक बने मकानों का सर्वे करने, सूचियां तैयार करने, भूमि सेट अपार्ट करने/आवंटन हेतु उपखण्ड अधिकारी को अधिकृत किया गया तथा ग्राम पंचायतों द्वारा नियम 165(4) के प्रावधानुसार भूमि नियमन करने की प्रक्रिया निर्धारित की तथा पटवारी, ग्राम सेवक, तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारीयों का दायित्व निर्धारित किया गया है।

उक्त परिपत्र 03.10.2017 को समसंख्यक परिपत्र क्रमांक 1469 दिनांक 30.11.2017 से अतिक्रमित करते हुए 01.01.2017 को कम से कम तीन वर्ष पूर्व का मकान बना होना सबूत लेना अनिवार्य किया तथा मास्टर प्लान प्रभावित गांवों को छोड़ा गया तथा आबादी भूमि से दूर छितरे/बिखरे हुए मकानों के लिए 01.01.2017 तक 5 वर्ष का निर्माण होना अनिवार्य किया गया। ऐसे अतिक्रमणों की सूची पटवारी/ग्राम सेवक द्वारा संयुक्त रूप से तैयार कर तहसीलदार को पेश की जायेगी। तहसीलदार जांच कर उपखण्ड अधिकारी को पेश करेंगे तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रस्तावों को सक्षम स्तर पर भूमि सेट अपार्ट कर, आबादी हेतु ग्राम पंचायतों को आवंटित की जायेगी।

विकास अधिकारी राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 165(4) अनुसार भूमि का नियमन ग्राम पंचायतों द्वारा करवाना सुनिश्चित करेंगे। उक्त व्यवस्था में सिवायचक भूमि कलक्टर द्वारा ग्राम पंचायतो को आवंटित करनी है तथा ग्राम पंचायते बाजार मूल्य लेकर ही आवंटित करेगा।

B. उक्त विधिक स्थिति से परिपत्र दिनांक 10.01.2013 से स्पष्ट होता है कि सिवायचक, गै.मु.भूमियों पर दिनांक 01.01.2005 तक मकान बनाकर या बाड़े बनाकर निवासी/पशु आवास हेतु भूमि का अतिक्रमण करने पर 500 वर्गगज तक भूमि निशुल्क/शुल्क लेकर नियमन तहसीलदार द्वारा की जा सकती है बशर्ते यह भूमि उपरोक्त उप पैरा (A) में दिए गए परिपत्रों में अंकित निबंधनों एवं शर्तों की पूर्ति करते है अर्थात नियमन करने की पूरी गहन जांच पड़ताल होगी।

C. परिपत्र दिनांक 07.09.2017, 15.09.2017, 03.10.2017 व 30.11.2017 अनुसार सिर्फ सिवायचक भूमि पर दिनांक 1.1.2017 तक बने हुए मकानों का नियमन किया जावेगा तथा अतिक्रमित भूमि को धारा 92 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत सेट अपार्ट करके भूमि ग्राम पंचायतों को आबादी भूमि के रूप में आवंटित की की जायेगी तथा ग्राम पंचायते, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:54:39 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (शहर) जोधपुर

165(4) के तहत प्रचलित बाजार कीमत पर आवंटित करेगी। बाजार कीमत का तात्पर्य 1996 के नियमों में क्षेत्र की जिला स्तरीय दर से है तथा आवंटन अधिकतम 300 वर्गगज तक का ही होगा तथा पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधान/शर्तें आवंटी पर लागू होगी।

14. उक्त विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रत्येक अपील में निहित तथ्यों के आधार पर परीक्षण करने पर निम्न स्थिति हमारे समक्ष उभरती है:–

अपील संख्या 25/2024 (2024/49) टीकमचन्द बनाम हरजीराम @ हरिकिशन व किशनाराम:–दिनांक 02.06.2017 को श्री किशनाराम, हरिकिशन, भींयाराम व गणपतलाल पुत्रान आदूराम ने तहसीलदार बालेसर को न्याय आपके द्वारा अभियान में प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम बारनाउ के खसरा नम्बर 647 में एक बीघा भूखण्ड पर 50 वर्षों से कब्जा, बाड़ा, आवास, सन 1993 से बताया तथा मौके पर लाटा, बाड़ा, मकान, टांके निर्मित होना बताया। विद्युत कनेक्शन लेना भी बताया। किशनाराम व भींयाराम को बीपीएल परिवार बताया। गणपतलाल को दिव्यांग बताया है। हरिकिशन व प्रेमराज को लघु सीमान्त व्यक्ति बताया है तथा नियमानुसार आवासीय भूखण्ड आंवटित करने की मांग की। प्रार्थना पत्र के साथ राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा अपील संख्या – अपील/एल.आर/जोधपुर/0121/2015 निर्णय दिनांक 28.06.2016 की फोटोप्रति पेश की है। प्रार्थना पत्र के साथ तहसीलदार बालेसर द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 03.08.2016 की फोटो प्रति भी पेश की। तहसीलदार ने इस प्रार्थना पत्र पर अपीलाधीन प्रकरण संख्या 1/2017 दर्ज किया। प्रकरण की आदेशिका दिनांक 02.06.2017 अनुसार खसरा नम्बर 647 रकबा 3−11 बीघा भूमि को जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा आदेश दिनांक 26.08.1997 से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सेट अपार्ट कर आरक्षित करने के विरूद्ध आरएए कोर्ट ने आदेश दिनांक 28.06.2016 से संशोधित कर एक बीघा भूमि पर प्रार्थीगण को नियमानुसार नियमन करने के निर्देश देने का अंकन किया है तथा शेष 2−01 बीघा खसरा नम्बर 647 में आरक्षित रहेगी अर्थात एक बीघा भूमि पर प्रार्थीगण का नियमन करने बाबत परीक्षण करना है। जो परिपत्र 27.08.2001, 30.01.2006 व अन्य परिपत्रों अनुसार करना है तथा प्रार्थीगण को सबूत व साक्ष्य पेश करने का अवसर देते हुए पटवारी बारनाउ से मौका रिपोर्ट मांगी। पटवारी हल्का बारनाउ द्वारा दिनांक 21.09.2017 को मौका रिपोर्ट तैयार की गई [illegible] 2017 को पत्रावली पर ली गई। रिपोर्ट के साथ मौके का [illegible] पेश नहीं किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 21.09.2017 के अनुसार [illegible] से 2072 की जमाबंदी अनुसार खसरा संख्या 647 [illegible] बीघा [illegible] 5 बिस्वा राजकीय सिवायचक दर्ज है तथा 647/1 रकबा 3−01 बीघा किस्म बारानी द्वितीय भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:54:39 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

राजकीय खाते में दर्ज है। पटवारी ने यह भी लिखा है कि श्रीमान आरएए साहब ने 2–01 बीघा भूमि ही सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रखी है तथा एक बीघा भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि में से कम करने का आदेश संलग्न है। एक बीघा पर प्रार्थी आवेदनकर्ताओं का अतिक्रमण है तथा इनका आवासीय कब्जा है जिसमें पुराने आवासीय टांव बने हुए है, दो कमरे पट्टियों पर, एक पढवा (टिनशेड), पास में चार बाडा बना है तथा घरेलु विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है, जो चालू है तथा पांचों भाईयों के अलग–अलग आवासीय टांव बने हुए है। इनके परिवार का कब्जा खसरा परिवर्तनशील में संवत् 2043 से दर्ज है जो आज तक है।

प्रार्थना पत्र के संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 03.03.2016 की फोटोप्रति पेश की है जिसमें अंकित विवरण इस प्रकार है– यह मौका रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 26.02.2016, तहसीलदार के आदेश दिनांक 29.02.2016 की पालना में तैयार की है। खसरा नम्बर 647 की 5 बिस्वा भूमि सिवायचक दर्ज है तथा खसरा नम्बर 647/1 रकबा 3–01 बीघा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सरकारी खाते में दर्ज है। इसी प्रकार खसरा नंबर 647/2 में 5 बिस्वा पर गंगा विशन का पढवा बना हुआ है तथा उसे आंवटित है। नजरी नक्शा में बिन्दु A सड़क है। बिन्दु– B पर प्याऊ, C पर उचित मूल्य की दूकान, D पर पढ़वा, बिन्दु E खाली जगह पड़ी है बिन्दु F पर तारबंदी एवं कब्जा, बिन्दु G पर कमरा, बिन्दु H पर कमरा (दोनों विद्युतीकृत) तथा बिन्दु I पर गायों का बाड़ा, बिन्दु J पर पशु चारा एवं पत्थर चीणों का कमरा बिन्दु K पर है। करीब 1 बीघा भूमि पर हरजीराम वगैरा पुत्रान आदूराम का कब्जा है। इस रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार बालेसर, ग्राम सेवक, सरपंच व पांचों आवेदनकर्ताओं के हस्ताक्षर है। प्रार्थीगण ने दिनांक 20.12.2017 को खसरा परिवर्तनशील की छायाप्रति, रिपोर्ट 03.03.2016 पेश की तथा गंगाविशन के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 25.02.2006 के निर्णय की प्रति भी पेश की है। पटवारी मौका रिपोर्ट 27.02.2002 की छायाप्रति पेश की। उक्त मौका रिपोर्टों से मौका निरिक्षण की तारीख की स्थिति स्पष्ट होती है परन्तु 01.01.2005 की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। खसरा परिवर्तनशीलों का विवरण इस प्रकार है:–

| क्र.स. | वर्ष संवत् | अतिक्रमी का नाम | क्षेत्रफल | अतिक्रमण का प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2043 | [illegible] | [illegible] बिस्वा | कब्जा |
| 2 | 2044 | किशनाराम पुत्र [illegible] | [illegible] बिस्वा | कब्जा |
| 3 | 2045 | किशनाराम पुत्र [illegible] | 10 बिस्वा | कब्जा |

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:54:39 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2047 सन् 1990 | किशनाराम पुत्र आईदानराम | 10 बिस्वा | कब्जा |
| 5 | 2048 सन 1991 | किशनाराम पुत्र आईदानराम | 10 बिस्वा | कब्जा |
| 6 | 2049 सन 1992 | किशनाराम पुत्र आईदानराम | 10 बिस्वा | कब्जा |
| 7 | 2050 सन 1993 | किशनाराम पुत्र आईदानराम | 10 बिस्वा | कब्जा |
| 8 | 2051 सन 1994 | किशनाराम पुत्र आईदानराम | 10 बिस्वा | कब्जा |
| 9 | 2052 सन 1995 | किशनाराम पुत्र आईदानराम | 10 बिस्वा | कब्जा |
| 10 | 2052 सन 1995 | हरिकिशन पुत्र आईदानराम | 5 बिस्वा | पत्थर डालना |
| 11 | 2053 सन् 1996 | किशनाराम | 10 बिस्वा | बाजरी |
| 12 | 2053 सन् 1996 | हरिकिशन | 5 बिस्वा | बाजरी |
| 13 | 2069 (2012–13) | किशनाराम पुत्र आईदानराम | पूर्व 20 गठा, पश्चिम 20 गठा, उत्तर 05 गठा, दक्षिण 05 गठा क्षेत्रफल 5 बिस्वा | बाजरी |

उक्त के अतिरिक्त ग्राम सेवक ग्राम पंचायत बासनाड ने दिनांक 21.02.2016 को प्रमाण पत्र दिया है कि हरिकिशन व किशनाराम का गांव की आबादी में कोई आवासीय प्लॉट नहीं है। पिता आदूराम के नाम 40 फीट गुणा 60 फीट का खसरा नम्बर 25 में दिनांक 14.07.1985 को पंचायत द्वारा जारी पट्टा है। ये 5 भाई, तीन बहिने व माता है। पट्टे की फोटोप्रति संलग्न की है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत के पत्रांक दिनांक 20.12.2016 से किशनाराम को वर्ष 2002 की सूची में क्रमांक 6217030 पर बीपीएल बताया है।

उपरोक्त साक्ष्य के अलावा कोई साक्ष्य इस पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। तथा न ही इन अपीलों में पेश किए गए है। तहसीलदार बालेसर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.03.2018 परिपत्र दिनांक 10.01.2013 के तहत किशनाराम व हरजीराम के पक्ष में 500–500 वर्गगज भूमि खसरा नम्बर 647/1 में से नियमित की है तथा सनद एक रूपया प्रति वर्गगज शुल्क लेकर जारी की है। निर्णय में अंकित निष्कर्ष अनुसार आदूराम का कब्जा संवत् 2052 की खसरा [illegible] को माना है तथा किशनाराम का संवत 2043 से माना [illegible] दिनांक 21.09.2017, 27.07.2002, तहसीलदार की रिपोर्ट [illegible] कब्जा साबित माना है तथा इसी खसरा नम्बर 647/1 में [illegible] नियमन को आधार बनाया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:54:39 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकाला गया उपरोक्त निष्कर्ष अभिलेखीय तथ्यों के विपरीत है:-

a) उपरोक्त खसरा परिवर्तनशील की तालिका के क्रमांक 10 अनुसार हरजीराम उर्फ हरिकिशन का संवत् 2052 (सन् 1995) में 5 बिस्वा भूमि पर मात्र "पत्थर डालना" अंकित है तथा क्रमांक 12 सन् 1996 अनुसार 5 बिस्वा पर "बाजरी" अंकित है जो संवत् 2053 (सन् 1996) से संबंधित है तथा इसके पूर्व व पश्चात् के वर्षों में ख.नं. 647/1 की भूमि पर मकान या पशु बाडा होने का कोई साक्ष्य/सबूत अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र संवत् 2052 खसरा परिवर्तनशील के आधार पर "पत्थर डालने" के कृत्य को मानकर 500 वर्ग गज भूमि का नियमन करके विधिक प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया है। पटवारी की रिपोर्ट 21.09.2017 पांचों भाईयों की सामुहिक रिपोर्ट है। इसी प्रकार नायब तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 03.03.2016 भी सामुहिक रिपोर्ट है, जो निरीक्षण की तिथी की स्थिति मात्र है। आवेदक हरिकिशन ने राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.6(71)राज/ख/71 दिनांक 27.05.1975 के संलग्न विहित प्रारूप में आवेदन पेश नहीं किया है तथा न ही आवेदन पत्र के संलग्न अतिक्रमित भूखण्ड की भुजाओं का नाप पडौस दर्शाकर नक्शा पेश किया है तथा न ही पटवारी हल्का द्वारा सही नाप का नक्शा पेश किया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 16.03.2018 से हरिकिशन के नाम 500 वर्गगज भूमि का मकान/बाडा बताकर परिपत्र 10.01.2013 के तहत नियमन किया तथा सनद जारी की है जिसकी पालना में पटवारी ने ख.नं. 647/1 में से तरमीम करके ख.नं. 647/4 रकबा 0.0405 हैक्टर जमाबंदी में इन्द्राज किया है। पटवारी के पास इस प्रकार नक्शे में तरमीम करने का कोई प्रमाणित नक्शा ही नहीं था। पटवारी/भू.अभि.नि.' ने अपनी मनमर्जी से ख.नं. 647/4 की आकृति तैयार की है, जो बारनाउ से चामू जाने वाली मुख्य सडक पर अधिक लंबाई में है।

b) इसी प्रकार किशनाराम के पक्ष में नियमन का आधार संवत् 2043 से मकान व बाडे के रूप में खसरा परिवर्तनशील में इन्द्राज होना मानकर नियमन किया गया है। खसरा परिवर्तनशील की वर्षवार उपरोक्त सारिणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि किशनाराम का संवत् 2043 से 2052 (सन् ...) तक ख.नं. 647 में 10 बिस्वा भूमि पर सिर्फ "कब्जा" अंकित है, संवत् 2053 (सन् 1996) में ... "बाजरी" तथा संवत् 2069 (सन् 2012-13) में ... 20 ... पर "बाजरी" अंकित है। इस प्रकार किशनाराम का संवत् 2043 से 2069 (सन् 2012-13) तक की अवधि में ख.नं. 647/1 की भूमि पर मकान या पशुओं का बाडा होना साबित नहीं है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:54:39 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

कब्जा व बाजरी काश्त दर्ज है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने मनमर्जी से रिकॉर्ड के विपरीत निष्कर्ष निकाल कर मकान/बाड़ा बना होना मानकर नियमन आदेश दिनांक 16.03.2018 पारित कर 500 वर्ग गज की सनद जारी की है जो सन् 2012–13 तक बिना मकान या पशुबाड़ा साबित किये जारी की गई है। मात्र कब्जे के आधार पर नियमन नहीं हो सकता।

उपरोक्त विवेचनानुसार हरिकिशन व किशनाराम के पक्ष में परिपत्र दिनांक 10.01.2013 के अंतर्गत 01.01.2005 तक भूखण्ड पर मकान/बाड़ा के रूप में कब्जे को मानकर किया गया नियमन परिपत्रों की शर्तों व निर्बंधनों के विपरीत होने से नियमन आदेश व सनदें अपास्त योग्य है।

इसके अतिरिक्त आदेश पारित करने से पूर्व सड़क के मध्य से नियमित होने वाली भूमि की दूरी की जांच भी नहीं की गई है तथा न ही मौके का सही नाप कर भुजाओं का नाप लेकर नक्शा सत्यापित किया है। अगर यही भूमि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 07.09.2017 अनुसार आबादी में ग्राम पंचायत को दी जाती तो नियम 165(4) के तहत बाजार मूल्य से ग्राम पंचायत को लाखों रूपयों की आय होती परंतु अपात्र होने पर भी मात्र 1000 रूपये में 1000 वर्गगज भूमि नियमित की गई है। हालांकि यह भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित होने से उपलब्ध नहीं

15. पत्रावली सं. 23/2024 (2024/55)– टीकमचंद बनाम प्रेमराज वगैरा

श्री प्रेमराज ने दिनांक 23.05.2022 को उपखण्ड अधिकारी, बालेसर को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ख.नं. 647 में उसके पिताजी के काल से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। ख.नं. 647/1 में पूर्व में प्रार्थी के भाईयों के नाम नियमन किया। ख.नं. 647 में गंगाविशन पुत्र खुशालीराम के पक्ष में नियमन किया जा चुका है। हमारी खातेदारी भूमि ख.नं 646 समीप में आई हुई है। ग्राम बारनाऊ में उसका कोई पट्टा या कब्जा नहीं है, अतः 5 बिस्वा जमीन पुराने कब्जे के आधार पर नियमित की जावे। प्रार्थना पत्र पर प्रधान पं.स.बालेसर, सरपंच ग्राम पंचायत बारनाऊ व ग्राम विकास अधिकारी के भी हस्ताक्षर है।

तहसीलदार सेखाला ने पत्रांक 29 दिनांक 23.05.2022 से प्रार्थना पत्र पटवारी हल्का, बारनाऊ को जांच हेतु अग्रेषित किया। पटवारी ने दिनांक 02.06.2022 को रिपोर्ट में अंकित किया कि पूर्व में ख.नं. 647 प्रार्थी के [illegible] गंगाविशन के नाम नियमन 5–5 बिस्वा का हो चुका है। [illegible] खातेदारी भूमि से लगता हुआ है। अतः नियमानुसार [illegible] उक्त रिपोर्ट के पश्चात् मूल आवेदन उपखण्ड अधिकारी, [illegible] सेखाला को दिनांक 08.08.2022 को अग्रेषित किया गया। प्रार्थना पत्र के संलग्न दिनांक 23.08.2019 को मौका रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:54:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक जिला कलेक्टर (अपील)
जोधपुर

की फोटोप्रति, 25.09.2018 की मौका रिपोर्ट, 03.03.2016 की मौका रिपोर्ट तथा तहसीलदार बालेसर द्वारा आवेदक प्रेमराज को प्रकरण सं. 104/2012 में जारी नोटिस अंतर्गत धारा 91 दिनांक 18.10.2012 की फोटोप्रति पेश की तथा भाई किशनाराम के पक्ष में नियमित भूमि ख.नं. 647/5 रकबा 0.0405 हैक्टर मकान बाडा, भाई हरिराम के नाम ख.नं. 647/5 रकबा 0.0405 हैक्टर बाडा मकान, गंगाविशन के नाम नियमित ख. नं. 647/2 रकबा 0.0405 हैक्टर भूमि की जमाबंदी नकल संवत् 2077–2080 की नकले पेश की। गंगाविशन के पक्ष में किये गये नियमन प्रकरण सं. 66/2007 की पत्रावली की आदेशिकाओं की फोटोप्रतियां पेश की तथा भाई हरिकिशन व किशनाराम के पक्ष में प्रकरण सं. 01/2017 की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 02.06.2017 से 16.03.2018 तक की फोटोप्रतियां पेश की।

उपखण्ड अधिकारी, बालेसर से 0?.06.2022 को मूल प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण सं. 01/2022 प्रेमराज बनाम सरकार दिनांक 07.06.2022 को दर्ज कर, प्रार्थी से सबूत मांगे गये। जो प्रार्थी ने उपरोक्तानुसार अंकित विवरण अनुसार पेश किये है।

उक्त विवरण की जांच रिपोर्ट, कागजात के अतिरिक्त आवेदक प्रेमराज ने ख.नं. 647 की भूमि पर 01.01.2005 से पूर्व का मकान निर्मित होने का या पशुबाडा होने के सबूत के रूप में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया। प्रेमराज ने अपने प्रकरण के समर्थन में मात्र गंगाविशन के पक्ष में व भाई हरिकिशन व किशनाराम के पक्ष में किये गये नियमन के कागजात के सिवाय कुछ भी पेश नहीं किया। प्रेमराज के पक्ष में ख.नं. 647/1 की भूमि पर अतिक्रमण होने का केवल मात्र धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत प्रकरण सं. 07/2017 में पारित आदेश दिनांक 21.12.2018 है, जिसमें 0.05 बीघा पर बाडा द्वारा कब्जा का अतिक्रमण बताया है तथा प्रकरण सं. 104/12 में जारी नोटिस दिनांक 18.10.2012 में खसरा सं. 647 की भूमि पर 10 बिस्वा पर कब्जा काश्त का अतिचार बताया है। उक्त वर्ष 2012 व 2018 के अतिरिक्त धारा 91 की कार्यवाही का कोई अभिलेख पत्रावली पर नहीं है। उक्त सबूत 01.01.2005 के बाद के है।

पत्रावली पर उपलब्ध मात्र उक्तानुसार अभिलेखों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.07.2022 अपीलाधीन आदेश पारित किया है तथा गंगाविशन व हरिकिशन व किशनाराम के प्रकरणों में पारित आदेशों को आधार बनाया है, जो कतई गलत व विधि प्रावधानों के विपरीत है। आवेदक प्रेमराज का स्वयं का स्वतंत्र प्रकरण है तथा आवेदक स्वयं को स्वयं के पक्ष में [illegible] साक्ष्य/सबूत पेश कर यह साबित करना है कि दिनांक 01.01.2005 से पूर्व [illegible] ख.नं. 647/1 की भूमि पर आवासीय मकान या पशुबाडा [illegible] 01.01.2005 से पूर्व का पुराने मकान का निर्मित होना या पशु बाडा बना [illegible] का कोई सबूत ही नहीं है, फिर भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:54:39 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय ने परिपत्र दिनांक 10.01.2013 का हवाला देकर ख.नं. 647/1 की भूमि में से 500 वर्गगज भूमि मकान/बाडा निर्मित बताकर नियमन किया है तथा सनद जारी की तथा पटवारी हल्का ने मुख्य सडक पर प्रेमराज के कब्जे की भूमि का सही नाप, पडौस का प्रमाणित नक्शा उपलब्ध न होते हुए भी राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर ख.नं. 647 में 0.0405 हैक्टर भूमि मकान–बाडा के रूप में नियमों की धज्जियां उडाते हुए अमल दरामद किया तथा भू.अ.नि. ने सडक पर तरमीम पुख्ता की। सही नाप–पडौस का मानचित्र, विहित प्रारूप में प्रार्थना पत्र के साथ न तो आवेदक ने पेश किया तथा न ही पटवारी ने जांच रिपोर्ट दिनांक 02.06.2022 में तैयार किया। यह सनद ख.नं. 647 की शेष भूमि 05 बिस्वा पर जारी की है, जबकि इनके भाई हरिकिशन व किशनाराम के ख.नं. 647/1 में नियमन किया गया है तथा हरिकिशन ने अपने आवेदन में प्रेमराज का कब्जा साथ में बताया है।

ख.नं. 647 की 10 बिस्वा भूमि, जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर द्वारा ख.नं. 647 3–11 बीघा भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित करते समय इसलिए छोड दी थी कि 10 बिस्वा पर गंगाविशन द्वारा एक झूंपा व छोटा बाला (पट्टियां खडी करके) बनाया हुआ है, जो पटवारी बालगाव की मौका रिपोर्ट दिनांक 01.03.1997 तथा उप तहसीलदार बालेसर द्वारा जिला कलक्टर महोदय को भेजे गए प्रस्ताव में टिप्पणी में अंकित है जो इस प्रकार है–"प्रस्तावित भूमि पर में से 10 बिस्वा भूमि पर राजस्व अपील प्राधिकारी कोर्ट से स्थगन आया हुआ है इसके अलावा आरक्षित किया जाना प्रस्तावित है।" ख.नं. 647 की भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित करने का ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 22.03.1996 को प्रस्ताव सं. 1 पारित किया गया है तथा श्री प्रेमराज ने सरपंच की हैसियत से पत्र भी भेजा है। उक्त छोडी गई 10 बिस्वा भूमि में से 5 बिस्वा भूमि का नियमन गंगाविशन को प्रकरण 66/2007 दिनांक 25.01.2008 के आदेश से किया है जिसका ख.नं. 647/2 रकबा 0.0405 हैक्टर जो राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा खारिज करने पर राजस्व मण्डल में एल.आर./रिविजन/5082/2012/जोधपुर गंगाविशन बनाम सरकार स्टे में लंबित है तथा शेष रही 5 बिस्वा भूमि इस प्रकरण में अवैध रूप से प्रेमराज ने स्वयं के नाम, बिना किसी आधार के, नियमित करवाई है, जो नियम विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है तथा गंगाविशन स्वयं का नियमन निरस्त होने से अपील में स्टे में लंबित है। प्रेमराज के विरूद्ध ख.नं. 649 की गै.मु. गोचर भूमि पर [illegible] करने से धारा 91 आरएलआर एक्ट के तहत प्रकरण सं. 104/2012 तहसीलदार [illegible] भी कार्यवाही की गई है।

16. प्रकरण सं. 26/2024 (2024/51) [illegible] आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:54:39 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

श्री गणपतलाल पुत्र आदूराम ने दिनांक 14.06.2018 को एक प्रार्थना पत्र प्रभारी अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, बालेसर) "न्याय आपके द्वार–2018" के कैम्प में पेश कर कथन किया कि मेरे पिता के जीवनकाल से ख.न. 647/1 में दिनांक 12.08.1959 से आज दिन तक 5 बिस्वा भूमि पर उसका कब्जा है। इसी खसरे में गंगाविशन, हरिकिशन, किशनाराम का भी कब्जा था, जिसको तहसीलदार ने आवंटित कर दिया है। इस बाबत उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ ने दिनांक 03.03.2016 को मौका रिपोर्ट मंगवायी थी। मैने राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में अपील सं. 121/2015 दायर की थी, जिसमें मेरे पक्ष में दिनांक 28.06.2016 को स्वीकार हुआ। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 01.01.2013 व 03.10.2017 को जारी किये है। प्रार्थना पत्र के साथ फैसला प्रति दिनांक 28.06.2016, मौका रिपोर्ट दिनांक 03.03.2016 परिपत्र दिनांक 10.01.2013, 03.10.2017, 07.0[illegible] व 05.09.2017 की प्रति तथा 12.08.1959 के एग्रीमेंट की छायाप्रति पेश की।

तहसीलदार बालेसर ने उक्त प्रार्थना पत्र पत्रांक राजस्व/2019/163 दिनांक 26.02.2019 से नायब तहसीलदार, बालेसर को नियमानुसार कार्यवाही हेतु भेजा। अन्य पत्रांक राजस्व/2018/1036 दिनांक 20.09.2018 से पटवारी, बारनाउ से ख.नं. 647/1 में से दिनांक 12.08.1959 को क्रय की गई 5 बिस्वा भूमि की मौका व रिकॉर्ड की जांच मंगवाई, जिसकी पालना में पटवारी ने दिनांक 25.09.2018 को मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित की। मौका रिपोर्ट अनुसार ख.नं. 647/1 रकबा 2-11 बीघा पर अतिक्रमण पाया गया। जिसमें माला व तारबंदी बनाकर कब्जा किया हुआ है। ख.नं. 647/1 में से दिनांक 03.05.2018 को नामांतरकरण सं. 1253 के जरिये 10 बिस्वा भूमि प्रार्थी के भाईयों को नियमन हो चुकी है। पूर्व में 5 बिस्वा भूमि गंगाविशन के नाम से भी नियमन हो चुका है। राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा निर्णय में हरिकिशन, किशनाराम व गणपतलाल के हक में 1 बीघा भूमि आरक्षित से हटाकर उन्हें सुनने हेतु पत्रावली रिमाण्ड की है। पटवारी की उक्त रिपोर्ट दिनांक 25.09.2018 की स्थिति तैयार की है। राजस्व अपील प्राधिकारी की अपील सं. 121/2015 में गणपतलाल पक्षकार ही नहीं था। गलत कथन किया है। लिखत दिनांक 12.08.1959 खसरा नं. 646 रकबा 5–07 बीघा से संबंधित है अर्थात् ख.नं. 647 से इस लिखत का कोई महत्व नहीं है।

प्रार्थी गणपतलाल ने दिनांक 20.08.2019 को तहसीलदार बालेसर को नियमन हेतु एक अन्य प्रार्थना पत्र पेश किया, जो [illegible]लदार बालेसर को भेजा गया तथा नायब तहसीलदार, सेखाला दिनांक 22.08.201[illegible] पटवारी से बिंदुवार प्रकरण की जांच मांगी। उक्त रिपोर्ट में पूर्व में [illegible] व उस पर की गई कार्यवाही का विवरण अंकित है। पटवारी बारना[illegible] द्वारा पूर्व में दिनांक 25.08.2018 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 14:54:39 IST
Reason: SelfAttested

नायब जिला कलक्टर (शहर)
जोधपुर

अंकित तथ्यों अनुसार ही 23.08.2019 को पुनः रिपोर्ट तैयार की, परंतु इस रिपोर्ट ने आवेदन के कब्जे की भूमि का नाम जोख कर, पडौस दर्शाते हुए नक्शा तैयार नहीं किया। "कब्जा पुराना प्रतीत होता है।" अंकित किया है। मौका रिपोर्ट पर सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, भू.अ.नि. एवं भींयाराम के हस्ताक्षर है। यह रिपोर्ट नायब तहसीलदार सेखाला ने दिनांक 28.08.2019 को तहसीलदार बालेसर को अग्रेषित की जिसे दिनांक 23.09.2019 को अपीलाधीन प्रकरण सं. 01/2018 के रूप में दर्ज की तथा उक्त वर्णित मौका जांच रिपोर्ट्स को साक्ष्य के रूप में शामिल पत्रावली किया है। दिनांक 16.12.2019 को आवेदक गणपतलाल के बयान कलमबद्ध किये गये तथा दिनांक 03.01.2020 को अपीलाधीन आदेश पारित कर ख.नं. 647/1 में से 500 वर्गगज भूमि का मकान बाडा के रूप में नियमन आदेश पारित कर दिनांक 03.01.2020 को ही सनद जारी कर दी, जिसमें परिपत्र दिनांक 03.07.1991, 27.08.2001, 30.01.2006, 11.01.2008 व 10.01.2013 का संदर्भ दिया गया है। यह निर्णय बिना किसी प्रकार के साक्ष्य के आधार पर पारित किया गया है। आवेदक का कब्जा कब से, किस प्रकार का है, उसका साक्ष्य क्या है, इसका कोई उल्लेख तक नहीं है। आवेदक ने धारा-91 भू.रा. अधि. 1956 के तहत की गई कार्यवाही, खसरा परिवर्तनशील या अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित हो आवेदक का दिनांक 01.01.2005 से पूर्व ख.नं. 647/1 की भूमि पर मकान या पशु बाडा होने का तथ्य प्रमाणित हो सके। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपील सं. 121/2015 में पारित आदेश दिनांक 28.06.2016, जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.08.1997 के विरूद्ध है, जिससे ख.नं. 647 की भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित की गई है। मौका रिपोर्ट सामूहिक कई लोगो की सा[illegible] की गई है वो भी 01.01.2005 के बाद 03.03.2016 को तैयार की है।

उपरोक्त [illegible] से स्पष्ट है कि आवेदक गणपतलाल के पक्ष में जारी नियमन आदेश व सनद परिपत्र दिनांक 10.01.2013 व अन्य परिपत्रें के प्रावधानों के विपरीत हैं किसी भी प्रकार से दिनांक 01.01.2005 के पूर्व का मकान या पशु बाडा निर्मित होने का तथ्य साबित नहीं होता है। फलस्वरूप गणपतलाल के पक्ष में जारी नियमन आदेश अपास्त योग्य है।

17. उल्लेखनीय है कि ख.नं. 647 [illegible] से चामू जाने वाली मुख्य सडक पर आई हुई है। इस खसरा [illegible] भूमि पर राजकीय सार्वजनिक भवन पटवार भवन, ग्राम पं[illegible] जलकूप [illegible] अवस्थित है। ग्राम के भविष्य के विकास को ध्यान में रखते हुए ग्राम [illegible] प्रस्ताव सं. 1 दिनांक 22.03.1996 से ख.न 647 की भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित करने हेतु जिला कलक्टर, जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:54:39 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

से निवेदन किया था जिस पर उप तहसीलदार, बालेसर ने 10 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण होना बताया। जिला कलक्टर महोदय ने 10 बिस्वा अतिक्रमित भूमि छोडकर शेष 3-01 बीघा आदेश दिनांक 26.08.1997 से सार्वजनिक कार्यालय प्रयोजनार्थ राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत सेट अपार्ट कर दी तथा तहसीलदार शेरगढ को संलग्न नक्शे अनुसार रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु निर्देशित किया तथा यह भी पाबंद किया कि आरक्षित भूमि की सुरक्षा की जावे तथा यह भूमि सिर्फ सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सरकारी भवन के लिए ही काम में ली जायेगी तथा भविष्य में ग्राम बारनाउ के किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि की आवश्यकता होने पर सिर्फ इस आरक्षित भूमि में से ही आवंटन किये जायेंगें।

विशेष प्रयोजनार्थ धारा 92 के तहत सेट अपार्ट की गई भूमि कलक्टर की अनुमति के बिना अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं की जा सकती। उक्त आरक्षित भूमि का उपयोग कृषि प्रयोजनार्थ भी नही किया जा सकता। ऐसी भूमि अतिक्रमियों को आवंटित नहीं की जा सकती। ऐसी ही मत 2011 आर.आर.डी. 337 (बद्री प्रसाद बनाम राजस्थान राज्य) में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है।

18. राज्य सरकार द्वारा राजकीय सिवायचक भूमियों पर मकान या बाडी के नियमन हेतु इस निर्णय में पूर्व में विस्तृत रूप से वर्णित परिपत्रों में स्पष्ट निर्देशित किया है कि राजकीय उपक्रम या राजकीय विभाग की भूमियां या सरकारी भूमि या किसी उद्देश्य हेतु अवाप्त भूमियों का नियमन नहीं हो सकता। जिला कलक्टर, जोधपुर के आदेश दिनांक 26.08.1997 से ख.नं. 647 की 3-01 बीघा भूमि राजकीय सार्वजनिक कार्यालयों के लिए आरक्षित कर दी गई थी। अतः ख.नं. 647 की भूमि नियमन हेतु उपलब्ध नहीं है। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर ने अपील/एल.आर./जोधपुर/121/2015 में पारित निर्णय दिनांक 28.06.2016 से 1 बीघा भूमि की सीमा तक संशोधित कर, काबिज व्यक्तियों की मात्रता का ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिनियम, नियमों, परिपत्र दिनांक 27.08.2001, 30.01.2016 इत्यादि को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रकरण में तहसीलदार शेरगढ को निर्देशित किया है। राजस्व अपील प्राधिकारी के उक्त निर्णय के विरूद्ध वर्तमान अपीलांट टीकमचंद वगैरा ने राजस्व मण्डल अजमेर में, द्वितीय अपील सं. एल.आर./6199/2016 अनवान टीकमचंद वगैरा बनाम हरजी ... में पारित आदेश दिनांक 06.09.2016 से राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के आदेश दिनांक 28.06.2016 के प्रभाव व क्रियान्वयन को रोक दिया गया ... अपील ... लंबित है तथा अगली सुनवाई तिथि 13.05.2025 नियत है। ... स्थगन आदेश के बाद भी तहसीलदार बालेसर ने अपीलाधीन आदेश पारित किये है तथा उनके आदेशों को अपास्त करने हेतु हस्तगत

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:54:39 IST
Reason: SelfAttested

उपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपीले सांविधिक प्रावधानों के अनुसार इस न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश हुई है। जिसे सुनने व निर्णित करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को है। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी ने नियमों, परिपत्रों के तहत नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार को निर्देश दिये थे। अगर तहसीलदार द्वारा नियमों, परिपत्रों के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है तो इस न्यायालय को ऐसे गैर कानूनी आदेशों को निरस्त करने की अपील में अधिकारिता है।

19. प्रत्यर्थीगण एवं उनके परिवार के पास पर्याप्त खातेदारी की कृषि भूमि भी उपलब्ध है, जो ग्राम बारनाऊ का ख.नं. 646 रकबा 5.3418 हैक्टर, ख.नं. 523 रकबा 6.3536 हैक्टर, ख.नं. 437/1 रकबा 2.3876 हैक्टर, ख.नं. 437/2 रकबा 0.0162 हैक्टर, ख.नं. 479 रकबा 0.6799 हैक्टर, ख.नं. 6 रकबा 2.2905 हैक्टर है। राज. टिनेन्सी एक्ट व राज. भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में अकृषि प्रयोजनार्थ कृषि भूमि का संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 5 के अनुसार एक खातेदार कृषि, आवास गृह, पशु शेड या स्टोर हाउस के लिए 500 वर्गमीटर तक की भूमि निःशुल्क परिवर्तित कराने के लिए अनुज्ञा है तथा टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के तहत कृषक अपनी कुल जोत का 1/50 वां अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले सकता है। धारा 31 के तहत आबादी में भूखण्ड उपलब्ध करना आबादी भूमि की उपलब्धता पर निर्भर है। प्रत्यर्थीगण के पिता आदूराम को ग्राम पंचायत ने ख.नं. 25 में दिनांक 14.07.1985 को 60 गुणा 40 फीट का भूखण्ड आवंटित किया है, जिसकी प्रति पत्रावली पर है। परंतु प्रत्यर्थीगण हरिकिशन, गणपतराम व प्रेमराज ने हस्तगत अपीलों की मुख्य सड़क पर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ दुकाने बना ली है।

20. उपर्युक्त विवेचनानुसार उक्त तीनों अपीलों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व जारी सनदे अपास्त योग्य है तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त विवरण की तीनों अपीले स्वीकार योग्य है। फलस्वरूप उक्त विवरण की तीनों अपीलें स्वीकार की जाती है यथा

(I) अपील सं. 25/2024– टीकमचंद बनाम हरजीराम उर्फ हरिकिशन व किशनाराम में तहसीलदार बालेसर द्वारा प्रकरण सं. 01/2017 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2018 व जारी दोनों सनदे दिनांक 16.03.2018 को निरस्त किया जाता है।

(II) इसी प्रकार अपील सं. 23/2024–टीकमचंद बनाम प्रेमराज में तहसीलदार सेखाला द्वारा प्रकरण सं. 01/2022 में पारित निर्णय दिनांक [illegible].2022 तथा जारी सनद दिनांक 12.07.2022 को अपास्त किया जाता है।

(III) इसी प्रकार अपील सं. 26/2024–टीकमचंद [illegible] गणपतलाल में तहसीलदार बालेसर द्वारा प्रकरण सं. 01/2018 में पारित निर्णय [illegible] सनद दिनांक 03.01.2020 को अपास्त किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:54:39 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

21. निर्णय की प्रति तहसीलदार चामू, जिला जोधपुर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपील/एल.आर./2016/6199 टीकमचंद बनाम हरजीराम वगैरा में पारित स्थगन आदेश दिनांक 06.09.2016 अनुसार दिनांक 06.09.2016 को मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति यथावत कायम रखी जावे।

22. अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख को पुनः लौटाया जावे।

23. पत्रावली बाद तामिल व तकमील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 08.05.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:54:39 IST
Reason: SelfAttested